

भारत सरकार  
विधि और न्याय मंत्रालय  
न्याय विभाग  
लोक सभा  
तारांकित प्रश्न सं. \*165  
जिसका उत्तर शुक्रवार, 06 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है

**उच्चतम न्यायालय में लंबित मामले**

**\*165. श्री कुलदीप इंदौरा :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने दैनिक कार्यों को सुव्यवस्थित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कई पहलों का कार्यान्वयन किए जाने के बावजूद, लंबित मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है।

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) उच्चतम न्यायालय में पीठ-वार कितने मामले लंबित हैं ;

(घ) उच्चतम न्यायालय में इन मामलों के एकत्र होने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) उच्चतम न्यायालय और देश की विभिन्न अन्य अदालतों में मामलों के त्वरित निपटान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

**उत्तर**

**विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);  
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री  
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)**

**(क) से (ङ) :** एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

\*\*\*\*\*

**‘उच्चतम न्यायालय में लंबित मामले’ के संबंध में लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. \*165, जिसका उत्तर तारीख 06.12.2024 को दिया जाना है, के भाग (क) से (ड) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण**

**(क) से (ड) :** उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, उच्चतम न्यायालय की सांविधानिक न्यायपीठों के समक्ष आज तारीख तक लंबित मामलों की संख्या निम्नानुसार है :

क्रम सं.	न्यायपीठ	लंबित मामलों की संख्या
1	तीन न्यायाधीशों की न्यायपीठ	167
2	पांच न्यायाधीशों की न्यायपीठ	19
3	सात न्यायाधीशों की न्यायपीठ	05
4	नौ न्यायाधीशों की न्यायपीठ	02
5	ब्यारह न्यायाधीशों की न्यायपीठ	शून्य

\* शेष मामले खण्ड न्यायपीठों, चैम्बर-न्यायाधीश और रजिस्ट्रार न्यायालय में लंबित हैं ।

ऊपरिवर्णित मामलों का निपटारा न्यायपालिका के विशेष अधिकार क्षेत्र में है। तथापि, उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, लंबित मामलों की बढ़ती संख्या को संभालने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा दैनिक कार्यों को सुव्यवस्थित करने के लिए कई आईटी पहल की गई हैं। लंबित मामलों के लिए कोई एक स्पष्ट कारण नहीं है। यह एक बहुआयामी स्थिति है। देश की बढ़ती जनसंख्या, पहुंच में आसानी और जनता के बीच जागरूकता ने नए मामलों को दर्ज करने में योगदान दिया है जो साल दर साल लगातार बढ़ रहे हैं। 2020 के आसपास आरम्भ हुई महामारी ने भी पिछले चार वर्षों में लंबित मामलों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन यथा आदेशित मामलों के शीघ्र निपटारे और लंबित मामलों को कम करने के प्रति केंद्रीय सरकार की अटूट प्रतिबद्धता है। इस उद्देश्य से, सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने के लिए कई पहल की हैं :

**i.** न्याय प्रदान करने और कानूनी सुधारों के लिए राष्ट्रीय मिशन की स्थापना अगस्त, 2011 में की गई थी, जिसका दोहरा उद्देश्य था - प्रणाली में देरी और बकाया को कम करके पहुंच बढ़ाना और संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से जवाबदेही बढ़ाना और प्रदर्शन मानकों और क्षमताओं को निर्धारित करना। मिशन न्यायिक प्रशासन में बकाया मामलों और लंबित मामलों के चरणबद्ध परिसमापन के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण अपना रहा है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, कम्प्यूटरीकरण सहित न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की स्वीकृत संख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीतिगत और विधायी उपाय और मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए न्यायालय प्रक्रिया की पुनः संरचना और मानव संसाधन विकास पर जोर देना सम्मिलित है।

**ii.** न्यायिक अवसंरचना के विकास के लिए केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों को न्यायालय हॉल, न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय क्वार्टर, वकीलों के हॉल, शौचालय परिसर और डिजिटल कंप्यूटर कक्षों के निर्माण के लिए धनराशि जारी की जा रही है, जिससे वादियों सहित विभिन्न हितधारकों का जीवन आसान हो सके और न्याय प्रदान करने में सहायता मिले। 1993-94 में न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) की आरम्भ के बाद से अब तक 11571.57 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। इस स्कीम के अधीन न्यायालय हॉल की संख्या 30.06.2014 को 15,818 से बढ़कर 31.10.2024 तक 23,590 हो गई है और आवासीय इकाइयों की संख्या 30.06.2014 को 10,211 से बढ़कर 31.10.2024 तक 21,076 हो गई है।

**iii.** इसके अलावा, ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना के चरण I और II के अधीन, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की आईटी सक्षमता के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाया गया है। 2023 तक 18,735 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को कम्प्यूटरीकृत किया गया। 99.5% न्यायालय परिसरों को डब्ल्यूएन कनेक्टिविटी प्रदान की गई है। 13,240

न्यायालय परिसरों और 1,272 संबंधित जेलों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा सक्षम की गई है। 30.09.2024 तक, जिला न्यायालयों में 1375 ई-सेवा केंद्र और उच्च न्यायालयों में 28 ई-सेवा केंद्रों को वकीलों और वादियों को नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करके डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए कार्यात्मक बनाया गया है। 21 राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों में 28 आभासी न्यायालय स्थापित किए जा चुके हैं। 30.09.2024 तक, इन न्यायालयों ने 5.82 करोड़ से अधिक मामलों को संभाला है तथा जुर्मानों के रूप में 634.74 करोड़ रुपये से अधिक वसूल किए हैं। मंत्रिमंडल ने 13.09.2023 को 7,210 करोड़ रुपये के परिव्यय पर ई- न्यायालय चरण-III का अनुमोदन किया है। चरण-I और चरण-II के लाभों को अगले स्तर पर ले जाते हुए, ई- न्यायालय चरण-III का उद्देश्य डिजिटल, ऑनलाइन और पेपरलेस न्यायालय की ओर बढ़ते हुए न्याय की सुगमता की व्यवस्था को आरम्भ करना है। इसका उद्देश्य न्याय वितरण को सभी हितधारकों के लिए उत्तरोत्तर अधिक मजबूत, आसान और सुलभ बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), ब्लॉक चेन आदि जैसी नवीनतम तकनीक को सम्मिलित करना है।

iv. सरकार भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को नियमित रूप से भरती रही है। 01.05.2014 से 21.11.2024 तक उच्चतम न्यायालय में 64 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। इसी अवधि के दौरान उच्च न्यायालयों में 999 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई और 767 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी किया गया। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या मई, 2014 में 906 से बढ़कर अब तक 1122 हो गई है। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत संख्या में निम्नानुसार वृद्धि हुई है :

तारीख तक	स्वीकृत संख्या	कार्यरत संख्या
31.12.2013	19,518	15,115
30.11.2024	25,727	20,480

तथापि, जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों को भरना राज्य सरकारों और संबंधित उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

v. अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित प्रस्ताव के अनुसरण में, पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों को निपटाने के लिए सभी 25 उच्च न्यायालयों में बकाया समितियों का गठन किया गया है। जिला न्यायालयों के अधीन भी बकाया समितियों का गठन किया गया है।

vi. चौदहवें वित्त आयोग के तत्वावधान में जघन्य अपराधों के मामलों ; वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों आदि से जुड़े मामले से निपटने के लिए त्वरित न्यायालय स्थापित किए गए हैं। 30.09.2024 तक, जघन्य अपराधों, महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध आदि के मामलों से निपटने के लिए 862 त्वरित न्यायालय कार्यरत हैं। निर्वाचित सांसदों/विधायकों से जुड़े आपराधिक मामलों को त्वरित करने के लिए, नौ (9) राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों में दस (10) विशेष न्यायालय कार्यरत हैं। इसके अलावा, केंद्रीय सरकार ने बलात्कार और पाँक्सो अधिनियम के लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए देश भर में त्वरित विशेष न्यायालय (एफटीएससी) स्थापित करने की स्कीम को अनुमोदित किया है। 30.09.2024 तक, देश भर के 30 राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों में 408 विशिष्ट पाँक्सो (ई पाँक्सो) न्यायालयों सहित 750 एफटीएससी कार्यरत हैं, जिन्होंने 2,81,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया है।

vii. न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने और कामकाज को सुचारु करने के उद्देश्य से, सरकार ने विभिन्न कानूनों जैसे कि परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018, मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 और दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 में संशोधन किया है।

viii. वैकल्पिक विवाद समाधान पद्धतियों का पूर्ण मनोयोग से संवर्धन किया गया है। तदनुसार, वाणिज्यिक विवादों के मामले में पूर्व सांस्थानिक मध्यस्थता और निपटान (पीआईएमएस) को

अनिवार्य बनाते हुए, अगस्त, 2018 में वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 में संशोधन किया गया। विवादों के त्वरित समाधान में समयसीमा निर्धारित करके तेजी लाने के लिए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 में मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधन किया गया है।

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के अधीन, केस प्रबंधन सुनवाई का प्रावधान है जो किसी मामले के कुशल, प्रभावी और उद्देश्यपूर्ण न्यायिक प्रबंधन के लिए उपबंध करता है ताकि विवाद का समय पर और गुणवत्तापूर्ण समाधान प्राप्त किया जा सके। यह तथ्य और विधि के विवादित मुद्दों की जल्द पहचान, मामले के निरंतर रहने के लिए प्रक्रियात्मक कैलेंडर की स्थापना और विवाद के समाधान की संभावनाओं की खोज में सहायता करता है।

वाणिज्यिक न्यायालयों के लिए आरम्भ की गई एक और नई विशेषता रंग बैंडिंग की प्रणाली है जो किसी भी वाणिज्यिक मामले में दिए जा सकने वाले स्थगन की संख्या को तीन तक सीमित करती है और न्यायाधीशों को लंबित मामलों के चरण के अनुसार उन्हें सूचीबद्ध करने के बारे में सचेत करती है।

ix. लोक अदालत आम लोगों के लिए उपलब्ध एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है। यह एक ऐसा मंच है जहां न्यायालय में या वाद-पूर्व चरण में लंबित विवादों/मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा/समझौता किया जाता है। विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 के अधीन, लोक अदालत द्वारा दिया गया पंचाट सिविल न्यायालय की डिग्री मानी जाती है और यह सभी पक्षों पर अंतिम और बाध्यकारी होती है और इसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई अपील नहीं की जा सकती है। लोक अदालत एक स्थायी प्रतिष्ठान नहीं है। राष्ट्रीय लोक अदालतें सभी तालुकों, जिलों और उच्च न्यायालयों में एक साथ पूर्व-निर्धारित तिथि पर आयोजित की जाती हैं।

पिछले चार वर्षों के दौरान राष्ट्रीय लोक अदालतों में निपटाए गए मामलों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

वर्ष	वाद पूर्व मामले लंबित	लंबित मामले	कुल योग
2021	72,06,294	55,81,743	1,27,88,037
2022	3,10,15,215	1,09,10,795	4,19,26,010
2023	7,10,32,980	1,43,09,237	8,53,42,217
2024 (09.11.24 तक)	6,46,35,285	1,26,34,580	7,72,69,865
कुल	<b>17,38,89,774</b>	<b>4,34,36,355</b>	<b>21,73,26,129</b>

x. सरकार ने 2017 में टेली-लाॅ कार्यक्रम आरम्भ किया, जो ग्राम पंचायतों में स्थित सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) पर उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन और चैट सुविधाओं और टेली-लाॅ मोबाइल ऐप के माध्यम से पैनल वकीलों के साथ कानूनी सलाह और परामर्श चाहने वाले जरूरतमंद और वंचित वर्गों को जोड़ने वाला एक प्रभावी और विश्वसनीय ई-इंटरफ़ेस प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करता है।

\*टेली-लाॅ डेटा का प्रतिशतवार विवरण

प्रवर्ग	पंजीकृत मामले	%वार ब्रेक अप	समर्थ की गई सलाह	%वार ब्रेक अप
लिंग वार				
स्त्री	4014611	39.12	3963499	39.06
पुरुष	6247980	60.88	6183286	60.94
जातिप्रवर्ग वार				
सामान्य	2387060	23.26	2352649	23.19

अपि व	3252495	31.69	3213067	31.67
अजा	3246025	31.63	3215657	31.68
अजजा	1377011	13.42	1366312	13.47
कुल	<b>10262591</b>		<b>10146785</b>	

\* 31-10-2024 तक डाटा ।

xi. देश में प्रो बोनो संस्कृति और प्रो बोनो वकालत को संस्थागत बनाने के प्रयास किए गए हैं। एक तकनीकी ढांचा तैयार किया गया है, जहाँ प्रो बोनो कार्य के लिए अपना समय और सेवाएँ देने वाले अधिवक्ता न्याय बंधु (एंड्रॉइड और आईओएस और ऐप्स) पर प्रो-बोनो अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण कर सकते हैं। न्याय बंधु सेवाएँ उमंग प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हैं। राज्य स्तर पर 23 उच्च न्यायालयों में अधिवक्ताओं का प्रो बोनो पैनल आरम्भ किया गया है। नवोदित वकीलों में प्रो-बोनो संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 109 लॉ स्कूलों में प्रो-बोनो क्लब आरम्भ किए गए हैं।

\*\*\*\*\*